



2026:RJ-JP:17760

[2026:RJ-JP:17760]



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 2606/2026

1. Vineet Kumar Son Of Shri Ummed Singh, Resident Of Plot No.304, Kisan Colony, District Jhunjhunu (Raj.) 333001. At Present Resident Of D-117, Gautam Marg, Nirman Nagar, Jaipur.
2. Ummed Singh Son Of Shri Dhudaram, Resident Of Plot No.304, Kisan Colony, District Jhunjhunu (Raj.) 333001. At Present Resident Of D-117, Gautam Marg, Nirman Nagar, Jaipur.
3. Kamla Devi Wife Of Shri Ummed Singh, Resident Of Plot No.304, Kisan Colony, District Jhunjhunu (Raj.) 333001. At Present Resident Of D-117, Gautam Marg, Nirman Nagar, Jaipur.
4. Pramila Wife Of Shri Piyush Choudhary, Resident Of Plot No.304, Kisan Colony, District Jhunjhunu (Raj.) 333001. At Present Resident Of D-117, Gautam Marg, Nirman Nagar, Jaipur.
5. Sharmila Wife Of Shri Jitendra Ahlawat, Resident Of Plot No.304, Kisan Colony, District Jhunjhunu (Raj.) 333001. At Present Resident Of D-117, Gautam Marg, Nirman Nagar, Jaipur.

-----Petitioners

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor
2. Manu Faujdar Wife Of Vineet Kumar, Daughter Of Udai Singh Faujdar, Resident Of P-43, Raj Laxmi Enclave-3, Jagatpura, Jaipur.

-----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Siddharth Bhardwaj, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP



HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

27/04/2026

1. याची-अभियुक्त की ओर से यह याचिका अंतर्गत धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत परिवादी-प्रत्यर्थी की ओर से पुलिस थाना-महिला थाना, जयपुर शहर (पूर्व) में पंजीबद्ध करवायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 53/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 85, 316(2), 115(2), 126(2) बी.एन.एस. को निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।
2. विद्वान अधिवक्ता याची-अभियुक्तगण का निवेदन है कि याची/अभियुक्त क्रम-1 द्वारा विवाह विच्छेद की याचिका संबंधित पारिवारिक न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने के उपरांत काउंटर ब्लास्ट के रूप में मिथ्या आधारों पर यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, जो विलम्ब से व कानूनी व न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है, लगाये गये अपराध निराधार हैं और अंत में उपरोक्त आधारों पर यह प्रथम सूचना रिपोर्ट निरस्त किये जाने का निवेदन किया।
3. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा याचिका का विरोध करते हुए जाहिर किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के आधार पर संज्ञेय अपराध के तत्व प्रकट हो रहे हैं, उपरोक्त आरोपों अथवा इस याचिका के माध्यम से अभियुक्त द्वारा लिए गये बचाव के संबंध में अभी अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता, यह अनुसंधान/विचारण का विषय है, अन्त में याचिका खारिज किये जाने का निवेदन किया।
4. दोनों पक्षों के तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया।
5. वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट के माध्यम से परिवादिया मनू फौजदार द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि उसका विवाह याची/अभियुक्त क्रम-1 विनीत कुमार के साथ दिनांक 23.11.2023 को हुआ था, सह-अभियुक्तगण उसके पति के नातेदार हैं, विवाह होने के उपरांत अधिक दहेज की मांग को लेकर



परिवादिया के साथ गाली-गलौच, मारपीट आदि करना शुरू कर दिया तथा क्रूरता का यह व्यवहार सतत रूप से व निरंतर रहा।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा State of Uttar Pradesh and Anrs. Vs. Akhil Sharda and Ors with Sanjeet Jaiswal Vs. State of Uttar Pradesh and Ors. 2022 SCC OnLine SC 820 के पैरा संख्या-07 में यह व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है:-

"7. Having gone through the impugned judgment and order passed by the High Court by which the High Court has set aside the criminal proceedings in exercise of powers under Section 482 Cr.P.C., it appears that the High Court has virtually conducted a mini trial, which as such is not permissible at this stage and while deciding the application under Section 482 Cr.P.C. As observed and held by this Court in a catena of decisions no mini trial can be conducted by the High Court in exercise of powers under Section 482 Cr.P.C. jurisdiction and at the stage of deciding the application under Section 482 Cr.P.C., the High Court cannot get into appreciation of evidence of the particular case being considered."

7. इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Kamaladevi Agarwal Vs. State of W.B. & Ors. (2002) 1 SCC 555 के पैरा संख्या-07 में यह व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है:-

"7. This Court has consistently held that the revisional or inherent powers of quashing the proceedings at the initial stage should be exercised sparingly and only where the allegations made in the complaint or the FIR, even if taken at the face value and accepted in entirety, do not prima facie disclose the commission of an offence. Disputed and controversial facts cannot be made the basis for the exercise of the jurisdiction."



8. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार स्पष्ट है कि अनुसंधान की स्टेज पर प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त कराने हेतु अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते समय प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित आरोप तथा अभियुक्त की ओर से लिए गये बचाव व अन्य सामग्री की सत्यता, विश्वसनीयता आदि के संबंध में संक्षिप्त जांच अथवा संक्षिप्त विचारण अनुज्ञेय नहीं है। वर्तमान मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के आधार पर संज्ञेय अपराध के तत्व प्रकट हो रहे हैं। यह प्रथम सूचना रिपोर्ट न्यायालयीन प्रक्रिया का दुरुपयोग करने हेतु दर्ज करायी गयी हो, ऐसा स्पष्ट मामला नहीं है तथा लगाये गये आरोप अपने आप में असंभाव्य हो, ऐसी स्थिति भी नहीं है। अभियुक्त की ओर से जो बचाव लिये गये हैं, वे अनुसंधान का विषय हो सकते हैं तथा आरोप पत्र प्रस्तुत होने की स्थिति में बचाव साक्ष्य के समय सुसंगत हो सकते हैं। अभियुक्त द्वारा लिए गये बचाव मात्र आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त किया जाना उचित नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करने हेतु अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग संयत तरीके से व पूर्ण सावधानी के साथ अपेक्षित है। सामान्य रूप से जब तक सुदृढ आधार नहीं हों, अनुसंधान अथवा विचारण की प्रक्रिया को रोका जाना अथवा बाधित किया जाना उचित नहीं है।
9. उपरोक्त विवेचानानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट निरस्त करने हेतु धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत क्षेत्राधिकारिता का प्रयोग हस्तगत मामले में किया जाना उचित नहीं है।
10. परिणामतः यह याचिका खारिज की जाती है तथा स्थगन आवेदन भी उक्तानुसार खारिज किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J